"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 888] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 नवम्बर 2025 — अग्रहायण 4, शक 1947

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 नवम्बर 2025

अधिसूचना

एफ 13–33/दो–गृह/न.से./2019–.छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 (क्र. 19 सन् 2018) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा नियम,2021 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्: –

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 के खण्ड (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"(घ) **"तृतीय पक्ष अंकेक्षक"** से अभिप्रेत है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का संगठन, जिसे महानिदेशक या नामांकित अधिकारी द्वारा अग्नि सुरक्षा अंकेक्षण करने तथा किसी स्थान या भवन में अनुपालन को प्रमाणित करने के लिए मान्यता दी गई हो।"

2. नियम 37 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"37क. तृतीय पक्ष अंकेक्षक द्वारा अनुज्ञप्ति देने एवं अग्नि सुरक्षा अंकेक्षण करने की शक्ति.–(1) अग्नि सुरक्षा अंकेक्षण करने के लिए तृतीय पक्ष अंकेक्षकों को अनुज्ञप्ति देने की शक्ति–

(क) महानिदेशक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संगठन को, जिसे वह नियम37ख के उप–नियम (1) में उल्लेखित योग्यता मानदंड के अनुसार उपयुक्त समझे, तृतीय पक्ष अंकेक्षक के रूप में अग्नि सुरक्षा अंकेक्षण करने के प्रयोजन हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा।

(ख) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संगठन जो ऐसी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने या नवीनीकृत करने का इच्छुक हो, महानिदेशक को निर्धारित प्रपत्र और प्रक्रिया से आवेदन करेगा। आवेदन प्राप्त होने पर महानिदेशक ऐसी जाँच के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे या तो दो वर्ष की प्रारंभिक

अवधि के लिए अनुज्ञप्ति जारी करेगा या लिखित कारण अभिलिखित कर अस्वीकार कर सकेगा।

(ग) जहाँ महानिदेशक को यह विश्वास करने का कारण है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किया गया हैअनुज्ञप्ति की शर्तों को पूर्ण करने में असफल रहा है या अक्षमताके कारण कदाचार या अन्य किसी गंभीर कारण से उपयुक्त नहीं है तब महानिदेशक कारण बताने का उचित अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

(2) अग्नि सुरक्षा अंकेक्षण करने के लिए"तृतीय पक्ष अंकेक्षक"- (क) छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं का कोई सक्षम व्यक्ति या एक तृतीय-पक्ष अंकेक्षक ही अग्नि सुरक्षा अंकेक्षण कर सकता है।

(ख) कोई भी सूचीबद्ध तृतीय पक्ष अंकेक्षक/अभिकरण अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों की पुष्टि करने वाला अंकेक्षण प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, प्रासंगिक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) या अनुमोदित छत्तीसगढ़ राज्य भवन उप-विधियों के अनुसार वास्तविक अनुपालन या रखरखाव विद्यमान न हो।

(ग) धारा14 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचित परिसर या भवन के स्वामी या अधिभोगी को तृतीय पक्ष अंकेक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र विस्तृत अग्निसुरक्षा अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ ऐसे प्ररूप और प्रक्रिया के अनुसार महानिदेशक या नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जैसा शासन द्वारा अधिसूचित किया जाये। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई माह में, तृतीय पक्ष अंकेक्षक द्वारा भवनों या परिसरों में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की उत्तम व्यवस्था के संबंध में निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र को महानिदेशक या नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

37ख. तृतीय पक्ष अंकेक्षक के रूप में कार्य करने की पात्रता एवं आवेदन.-(1) तृतीय पक्ष अंकेक्षक के लिए पात्रता मानदंड-कोई भी आवेदक तृतीय पक्ष अंकेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होगा, जब तक;

(क) आवेदक के पास निम्नलिखित में से कम से कम कोई एक योग्यता हो, अर्थात्:-

(एक) अग्निशमन अभियांत्रिकी में उपाधि या उन्नत पत्रोपाधि या पत्रोपाधि, जो अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर, गृह कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई हो;

या

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर (यूके) या एम.आई. फायर (यूके) या ए.एम.आई.एफ.ई. इंडिया से अग्निशमन अभियांत्रिकी में फेलो, इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर (यूके) याइंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर (इंडिया) से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण;

या

(तीन) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल /केमिकल/सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा और भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता या राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ (एनएफपीए, यूएसए) 2008 द्वारा प्रकाशित संहिता, समय-समय पर संशोधित, में निर्धारित अग्नि लेखा परीक्षा के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

(ख) राज्य सरकार के अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट राशि का एक सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र रखता हो।

(ग) आवेदन करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी परिसर या भवन में ऐसी कोईअग्नि लेखा परीक्षा संपादित की गई हो।

(घ) अग्नि लेखा परीक्षा के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, अनुभव और अन्य आवश्यक कौशल रखता हो।

(ड.) किसी भी सरकारी विभाग या किसी सार्वजनिक अभिकरण द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो।

(2) **तृतीय पक्ष अंकेक्षक के रूप में कार्य करने हेतु आवेदन-(क)** कोई भी आवेदक, जो"तृतीयपक्षअंकेक्षक" के रूप में कार्य करने का इच्छुक है, उसे अनुज्ञप्ति प्राप्त करने केलिए"प्ररूप-ढ "में आवेदन करना होगा।

(ख) ऐसा आवेदन व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक पावती द्वारा या कूरियर अभिकरण के माध्यम से या ऑनलाइन किया जा सकता है।

(ग) ऐसे आवेदन के साथ नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट शुल्क संलग्न होगा;

टीपीए का वर्ग	सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र (लाख ₹में)	पंजीकरण शुल्क (रुपयेमें)
(1)	(2)	(3)
वर्ग-क	15.00	25,000
वर्ग-ख	10.00	15,000
वर्ग-ग	05.00	10,000
वर्ग-घ	02.50	5,000

(घ) महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेज, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्: -

(एक) उपरोक्त दर्शित तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट उचित राशि का सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र।

(दो) संतोषप्रद अंकेक्षण के संबंध में पिछले 3 वर्षों का अनुभव प्रमाणपत्र।

(तीन) फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख और पावर ऑफ अटॉर्नी या संबद्धता ज्ञापन के लेखों की सत्यापित प्रति या स्टांप पेपर पर शपथ पत्र।

(चार) विभाग द्वारा यथानिर्दिष्ट उचित राशि की बैंक गारंटी एवं जो अनुज्ञप्ति अवधि के लिए होगी।

(पाँच) निजी कार्यों के मामले में निर्धारित प्रपत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट या पंजीकृत आयकर व्यवसायी से पिछले 3 वर्षों के प्रमाणपत्र की प्रतियां।

(छ:) प्रमुख कर्मियों की योग्यता।

(सात) साझेदारों या निदेशकों या व्यक्तिगत स्वामी के साथ ही अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाली अभिकरण के अधिकारी या अधिकारियों की सत्यापित पासपोर्ट आकार की फोटो।

(आठ) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।

(नौ) उचित स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि उनकी फर्म को सरकार या किसी सार्वजनिक अभिकरण द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है |

(दस) निम्नलिखित संलग्नकों के साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण–

(क) लेखापरीक्षा रिपोर्ट
(ख) बैलेंस शीट
(ग) अनुसूचियों सहित लाभ एवं हानि खाता
(घ) आयकर रिटर्न

(ग्यारह) ऐसी अन्य जानकारी और दस्तावेज, जैसी महानिदेशक या किसी नामित अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाये।

37 ग. तृतीय पक्ष अंकेक्षक के लिए अनुज्ञप्ति एवं नवीनीकरण.- (1) तृतीय पक्ष अंकेक्षक के रूप में कार्य करने कीअनुज्ञप्ति–आवेदन की महानिदेशक या किसी नामित अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी और इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक तृतीय पक्ष अंकेक्षक के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अध्यधीन"प्ररूप-ण "में अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी, अर्थात्:-

(क) अनुज्ञप्ति–

(एक) अहस्तांतरणीय होगा,

(दो) जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के लिए वैध होगी, जब तक इसे पहले निलंबित या रद्द न कर दिया जाए।

(तीन) यदि वांछित हो, तो अनुज्ञप्ति की समाप्ति से पहले,2 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत की जा सकेगी।

(ख) प्रमुख कार्मिक या पंजीकृत पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना महानिदेशक या नामित अधिकारी को तत्काल दी जाएगी।

(ग) सभी चालू या पूर्ण किए गए कार्य का महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी भी अग्निशमन अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण हेतु खुले रहेंगे।

(2) **अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण**–अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन भी निर्धारित"प्ररूप-ढ "में किया जाएगा और इसके साथ पंजीकरण शुल्क के बराबर शुल्क देय होगा।

(3) **प्रवर्तन-** निर्धारित मानकों का पालन न करने, मिथ्या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने,और लापरवाही या कदाचार के मामलों में महानिदेशक को अनुज्ञप्तिधारी को "प्ररूप त" में कारण बताओ कारण बताओ सूचना पत्र देते हुए और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द करने का अधिकार होगा।

37घ. तृतीय-पक्ष अंकेक्षक द्वारा उनकी सेवाओं के लिए एकत्रित शुल्क का विनियमन.-(1) विभाग द्वारा विनियमन, प्रमाणपत्र, अंकेक्षण एवं अनिश्चित सत्यापन-सूचीबद्ध तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षक, अपनी प्रदान की गई सेवाओं के लिए स्वामी/अधिभोगी से निर्धारित शुल्क एकत्रित कर सकेंगे।

(2) तृतीय-पक्ष अंकेक्षक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र-

(क) किसी भवन में अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों के अनुपालन के संबंध में, एक प्रमाणपत्र, तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षक द्वारा "प्ररूप थ"में प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही एक विस्तृत अग्नि लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी उसी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाएगी।

(ख) किसी भवन या परिसर के स्वामी/अधिभोगी द्वारा तृतीय-पक्ष अंकेक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष के जनवरी और जुलाई माह से "प्ररूप द"में जारी प्रमाण पत्र को स्वसत्यापित कर प्रस्तुत किया जायेगा, जो भवन या परिसर में अग्नि निवारण औरजीवन सुरक्षा उपायों के उचित रखरखाव, अनुरक्षण और उत्तम क्रियाशीलता को प्रमाणित करेगा।

(3) **विभाग द्वारा अग्नि सुरक्षा अंकेक्षण-**जहाँ भवन का स्वामी/अधिभोगी तृतीय-पक्षअंकेक्षक द्वारा किए गए अग्नि सुरक्षा अंकेक्षण से संतुष्ट नहीं है, तो वह नियत फिस का भुगतान करके, विभाग से अग्नि सुरक्षा अंकेक्षण कराने के लिए आवेदन कर सकता है और इसके लिए विभाग, परिसर का अग्नि सुरक्षा अंकेक्षण करने के लिए किसी अहर्ताधारी अधिकारी को अधिकृत करेगा।

(4) **विभाग द्वारा अंकेक्षण रिपोर्टों का आकस्मिक सत्यापन-**महानिदेशक, विभाग के किसी अहर्ताधारी अधिकारी को तृतीय-पक्ष अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण किए गए कम से कम 30%भवनों या परिसरों का आकस्मिक सत्यापन करने के लिए अधिकृत करेगा, यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उचित कार्रवाई की जा सकेगी।"

3. प्ररूप-ड के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित है, अर्थात्: -

प्ररूप-ढ

(नियम 37ख का उप-नियम (2) देखिये)

तृतीय पक्ष अंकेक्षक के रूप में कार्य करने अनुज्ञप्तिहेतुआवेदन पत्र

प्रति,

महानिदेशक

विषय:-तृतीय पक्ष अंकेक्षक के रूप में कार्य हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा, किसी भी स्थान, भवन या उसके किसी भाग में अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा लेखापरीक्षा का संचालन एवं क्रियान्वयन करने हेतु तृतीय पक्ष अंकेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन करता/करतीहै। अभिकरणसे संबंधित विवरण नीचे दिए गए हैं: -

1.	आवेदक का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में): ....
2.	क्या टीपीए एकल स्वामित्व वाली संस्था होगी या व्यक्तियों का एक संघ जैसे फर्म या कंपनी आदि होगी:
3.	फर्म या कंपनी का पंजीकरण क्रमांक (पंजीकरण प्रमाणपत्र, संस्था के अनुच्छेद या अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ की प्रतियाँ संलग्न)
4.	पता: ....
5.	यदि टीपीए: क. स्वामित्व वाली संस्थाहो, तो उसे संचालित करने वाले व्यक्ति का नाम, योग्यताएं और पते। ख. फर्म या कंपनीहो तो, प्रत्येक भागीदार या यथास्थिति, निदेशकों के नाम, योग्यताएं और पते।
6.	कार्यालय का पता, जहाँ से अंकेक्षक टीपीए के रूप में कार्य करेगा
7.	वह वर्ग जिसके लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है-
8.	अंकेक्षक स्वामित्व वाली संस्था/व्यक्ति के कार्मिक, (क) प्रत्येक पर्यवेक्षी कर्मचारी नाम, योग्यता और पता। (ख) अन्य कर्मचारी के नाम, योग्यता और पता।
9.	आवेदक के प्रमोटर या साझेदारों या निदेशकों तथा उसके साथ काम करने वाले तकनीकी अधिकारियों या कर्मचारियों की तकनीकी योग्यताएं और अनुभव।
10.	क्या किसी अन्य राज्य में किसी अन्य विभाग या संगठन द्वारा काली सूची में डाला गया है। यदि हाँ, तो किस श्रेणी में? (क) क्या आवेदक या उसकेसाझेदारों या निदेशकों को पूर्व में किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक अभिकरणद्वारा काली सूची में डाला गया है? (ख) आवेदक ने अपने नाम से या साझेदार, निदेशक या फर्म या कंपनी के नाम से कहीं और पंजीकरण के लिए आवेदन किया है? यदि हाँ, तो क्या आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है? विवरण दें।

11.	क्या आवेदक ने अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
12.	शोधन क्षमता प्रमाण पत्र की राशि, जो आवेदक के पास है या प्रस्तुत किया गया है।
13.	रु............. का शुल्कजो डिमांड ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक ....को............... बैंक द्वारा आहरित किया गया है।
14.	यदि आवेदन मौजूदा अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए है, तो अनुज्ञप्ति के संबंध में ब्यौरा तथा इसकी वैधता की अवधि (अनुज्ञप्ति की प्रति संलग्न)
15.	क्या पूर्व में किसी भी समयटीपीए के रूप में कार्य करने हेतु प्रदाय किया गया अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द किया गया है; और यदि हां, तो इसके कारण :-

सत्यापन

मैं/हम प्रमाणित करते हैं, कि मैंने/हमने विभाग में एक से अधिक नामों सेअंकेक्षक के रूप में पंजीकरण नहीं कराया है और न कराएँगे।

धन्यवाद,

भवदीय

प्ररूप-ण

(नियम 37 (ग) का उप-नियम (1) देखिये)

अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपायों हेतु"तृतीय पक्षअंकेक्षक "के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्र. . . . .

दिनांक. . . . .

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ नियम, 2021 के नियम 37 (क) के उप-नियम (2) के प्रावधानों के अंतर्गतअग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षाअंकेक्षण करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त टीपीए के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान या नवीनीकृत किया जाता है, जिनका पंजीकृत कार्यालय______________है।

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ नियम, 2021 के नियम 37 (क) के उप-नियम (2) और नियम 37 (ग) के उप-नियम (1) प्रावधानों के अध्यधीन, अनुज्ञप्ति की अवधि___________से_________तक वैध होगी।

कार्यालय की मुहर

महानिदेशक/नामित अधिकारी
छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ

स्थान :
दिनांक :

प्ररूप-त

(नियम 37ग का उप-नियम (3) देखिये)

अनुज्ञप्ति प्राप्त टीपीए को अनुज्ञप्ति के निलंबन या निरस्तीकरण हेतु सूचना

प्रति,

____

____

यतः, छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 के प्रयोजनों के लिए टीपीए (तृतीय पक्ष अंकेक्षक) के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति संख्या ___________ दिनांक___________ के नाम से जारी या नवीनीकृत किया गया है और इस प्रकार जारी या नवीनीकृत किया गया अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा नियम, 2021 के नियम 37 (क), 37 (ख) और 37 (ग) के प्रावधानों के अध्यधीन है।

और यतः, यह अधिसूचित किया गया है कि आप निम्नलिखित कृत्यों के दोषी हैं, अर्थात्ः-

1. ________________

2. ________________

3. ________________

मेरे द्वारा आपको जारी इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में कारण बताएं कि क्यों न आपके पक्ष में जारी या नवीनीकृत किया गया अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द किया जाए।

कार्यालय की मुहर

महानिदेशक/नामित अधिकारी

दिनांकः

स्थानः

प्ररूप-थ

नियम 37घ के उप-नियम (2) (क) देखिये)

अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा लेखा परीक्षा अवलोकन के अनुपालन हेतु TPA द्वारा प्रमाणपत्र

<u>प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित भवन या परिसर में अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा अंकेक्षण के संबंध में अनुपालन हेतु कार्य निष्पादित किया है।

भवन या परिसर का विवरण और स्थान

मैंने या हमने जो अग्निसुरक्षाअंकेक्षण निष्पादित किया है, उसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

स्थान : अनुज्ञप्ति प्राप्त TPA (तृतीय पक्ष अंकेक्षक) के हस्ताक्षर और पता

दिनांक : अनुज्ञप्ति क्र.

टीप :-

(क) इस प्रपत्र के साथ एक विस्तृत अग्नि लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न की जोयगी।

(ख) प्रत्येक भवन के लिए एक पृथक प्रमाणपत्र आवश्यक है।

प्ररूप-द

(नियम 37घ का उप-नियम (2) (ख) देखिये)

अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा अंकेक्षण के अनुपालन हेतु स्वामी या अधिभोगी द्वारा दिया जाने वाला छः मासिक सत्यापित प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने निम्नलिखित भवन या परिसर में अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षाअंकेक्षण कराया है,अर्थात्ः-

____

____

मैं/ हम यह भी प्रमाणित करता हूँ किछत्तीसगढ़ अग्नि एवं आपातकालीन सेवा नियम,2021के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त उल्लिखित भवनों का रखरखाव, अनुरक्षण और उत्तम क्रियाशीलता की स्थिति में है। यह अंकेक्षणअवधि __________ के दौरान किया गया है। मेरे/हमारे द्वाराकराये गए अंकेक्षण का विवरण संलग्न रिपोर्ट में दिया गया है।

____

स्थानः __________ स्वामी या अधिभोगी के हस्ताक्षर और पता (भवन)

दिनांकः

____

स्थानः __________ टीपीए (तृतीय पक्ष अंकेक्षक) के हस्ताक्षर और पता

दिनांकः अनुज्ञप्ति संख्या ______________

टीपः- स्थान का वर्णन एवं पता यहाँ दिया जाना है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. चौहान, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 नवम्बर 2025

क्रमांक-एफ 13-33/दो-गृह/न.से./2019-. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुशरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 13-33/दो-गृह/न.से./2019, दिनांक 24 नवंबर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. चौहान, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th November 2025

NOTIFICATION

F-No-13-33/2-grih/N.S./2019-. In exercise of the powers conferred by Section 59 of the Chhattisgarh Fire and Emergency Service Act, 2018 (No. 19 of 2018), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Fire and Emergency Service Rules, 2021, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After clause (e) of rule 2, the following clause shall be added, namely:-

"(f) "**Third Party Auditor**" means a person or an association of persons accredited by the Director General or nominated officer to conduct fire safety audits and certify compliance of a place or building."

2. After rule 37, the following rule shall be added, namely:-

"37A. Power to Grant License and Fire Safety Audit by Third Party Auditor.-(1) Power to Grant license to Third-Party Auditors to carry out fire safety audit-

(a) The Director General may grant any person or association of persons as he thinks fit as per the eligibility criteria mentioned in sub-rule (1) of rule 37B, a license to act as a Third-Party Auditor for the purposes of conducting fire safety audit.

(b) Any person or an association of persons intending to have or renew such license shall apply to the Director General in the prescribed form and manner. Upon receiving the application, the Director General may, after conducting the inquiry as he deems fit, either grant or renew license for an initial period of two-years or refuse it with reasons in writing.

(c) Where the Director General has reason to believe that a licensee has violated any rules, failed to comply with license conditions or is unfit due to incompetence, misconduct or any other grave reasons, the Director General may suspend or cancel the license after giving a reasonable opportunity to show cause.

(2) **"Third Party Auditor" to carry out Fire Safety Audits-** (a)Only a competent person from the Chhattisgarh Fire and Emergency Services or a Third-Party Auditor may conduct fire safety audits.

(b) No Empanelled Third-Party Auditor/Agency shall issue an audit certificate regarding the compliance of the fire prevention and life safety measures unless actual compliance or maintenance exists as per the National Building Code of India, relevant Bureau of Indian Standards (BIS) or approved Chhattisgarh State Building Bye-Laws.

(c) The owner or occupier of the premises or buildings notified under sub-section (2) of Section 14, as the case may be, shall submit a certificate issued by the third party auditor regarding compliance of the prescribed measures to the Director General or the nominated officer in such format and procedure as may be notified by the Government. Also, twice every year in the months of January and July, a certificate issued by a third party auditor in the prescribed format regarding the best functioning of the fire prevention and fire safety measures in the buildings or premises shall also be submitted to the Director General or the nominated officer.

37B. Eligibility and Application to act as a Third Party Auditor.- (1) **Eligibility criteria for Third Party Auditor–** No applicant shall be eligible to apply for grant of license to act as a Third-Party Auditor unless;

(a) Applicant possesses at least any of the following qualifications, namely, -

(i) A Degree or Advanced Diploma or Diploma in Fire Engineering awarded by the National Fire Service College Nagpur, Ministry of Home Affairs, Government of India;

or

(ii) Fellow of Fire Engineering of the Institution of Fire Engineer (UK) or M.I. Fire (UK) or A.M.I.F.E India, Graduate examination of the Institution of Fire Engineer (UK) or the Institution of Fire Engineer (India);

or

(iii) A Degree or Diploma in Mechanical/Electrical/Chemical/Civil engineering from a recognized university and have experience of at least three years in fire audit field, as laid down in the National Building Code of India or the code published by the National Fire Protection Association (NFPA, USA) 2008, as amended from time to time.

(b) Holds a solvency certificate for an amount as may be specified by the Director General with the approval of the State Government;
(c) Has during the period of 3 years from the date of apply for application, conducted any such fire audits in any premises or buildings;
(d) Adequate knowledge, experience and other necessary skills related to fire audit;
(e) Not black-listed by any Government department or any public agency.

(2) **Application to act as a Third-Party Auditor- (a)** Any applicant who intends to act as a "Third Party Auditor" shall make an application in "Form-N" for obtaining license.

(b) Such application may be made in person or be sent by registered post acknowledgement due or through courier agency or online.
(c) Such application shall be accompanied by a fee as specified in the Table below;

Class of the TPA	**Solvency Certificate for (₹ in lakhs)**	**Registration Fee (In ₹)**
(1)	(2)	(3)
Grade-A	15.00	25,000
Grade-B	10.00	15,000
Grade-C	05.00	10,000
Grade-D	02.50	5,000

(d) **Required Documents as may be specified by the Director General, which shall include the following namely**:-
(i) Solvency Certificate for an appropriate amount as specified in column (2) of Table shown above;
(ii) Certificate of experience regarding satisfactory audit of last 3years;
(iii) Attested copy of deed of partnership and power of attorney or articles of memorandum of associated or affidavit on stamp paper in case of a firm;
(iv) Bank Guarantee of an appropriate amount as specified by the Department and which shall be for a period of Licensing term;
(v) Copies of last 3 years certificate from the chartered accountant or registered income tax practitioner in the prescribed form in case of private works;
(vi) Qualification of key personnel;
(vii) Attested passport size photographs of partners or directors or individual proprietor and also of the officer or officers of the agency applying for the license;
(viii) Attested copy of GST registration certificate;

(ix) Affidavit on appropriate stamp paper, stating that his or her firm is not black listed by the Government or any public agency;

(x) Audited Financials with the following enclosures.-

(a) Audit Report
(b) Balance sheet
(c) Profit & Loss account with schedules
(d) Income Tax Returns;

(xi) Such other information and documents as may be required by the Director General or any nominated officer.

37C. License and renewal for Third-Party Auditor.-(1)**License to act as Third-Party Auditor**–The application shall be scrutinized by the Director General or any nominated officer and on being satisfied that the applicant fulfills all the criteria for grant of license to work as Third-Party Auditor, shall be grant the License in "Form-O" subject to the following terms and conditions, namely;-

(a) The license shall be-

(i) Non-transferable;

(ii) Valid for 2 year from the date of issue, unless suspended or cancelled earlier;

(iii) Renewed for further period of 2 years, if so desired, before expiry of the license.

(b) Any change in key personnel or registered address shall be immediately communicated to the Director General or nominated officer.

(c) Director General or any Fire Officer authorized by the Director General may random inspect all ongoing or completed work.

(2) **Renewal of License-** An application for renewal of license shall also be made in prescribed "Form-N" and shall be accompanied by a fee equal to the Registration charges.

(3) **Enforcement-** In case of Non-Compliance with prescribed standard, submission of false certificates or negligence or malpractices, the Director General shall have the right to suspend or cancel license;

Provided that due process shall be followed, including issuance of a show cause notice in the prescribed "Form-P".

37D. Regulation, Certificates, Audit by the Department and Random Verification.-(1) **Regulation of fee collected by the Third-Party Auditors for their services-** The Empanelled Third-Party Auditors shall collect the fee from the owner/occupier for their services rendered.

(2) **Certificates to be issued by a Third-Party Auditor-**

(a) A certificate regarding the compliance of the fire prevention and life safety measures in a building shall be submitted by a Third-Party Auditor in "Form-Q" along with a detailed Fire Audit Report which shall be attached with the same form.

(b) The owner/occupier of a building or premise shall submit a self-attested copy of certificate issued in "Form-R" by a Third-Party Auditor in the month of January and July of each year; that will certify regarding the proper maintenance of fire prevention and life safety measures in a building or premises being in good repair and efficient condition.

(3) **Fire Safety Audit by the Department-** Where the Owner/Occupier of the building is not satisfied with the Fire Safety Audit done by the Third-Party Auditors, they may, after duly paying the charges may apply along with the fee for the Fire Safety Audit to be conducted by the Department and thereafter the department shall authorize any qualified officer to conduct the Fire safety Audit of the premises.

(4) **Random Verification of Audit reports by the department-** The Director General shall authorize any qualified officer of the department to conduct the random verification of at least 30% of buildings or premises audited by the Third-Party Auditors, if any major deviations are found, suitable actions shall be taken."

3. After Form-M, the following form shall be added, namely:-

"FORM–N

(See sub-rule (2) of rule 37B)

Application for License to act as "Third Party Auditor"

To,
The Director General
Sub: -Application for License to act as Third Party Auditor.

The undersigned hereby applies for grant of or renewal of License to act as a Third-Party Auditor undertaking and executing the conduct of fire prevention and life safety Audit in any place, building or part thereof. The particulars regarding the Agency are given below:-

1.	Full Name of the Applicant (In capital letters): ....
2.	Whether TPA will be a proprietary Concern or an Association of persons such as a Firm or Company etc.:
3.	Registration No. of Firm or Company (Copies of Registration Certificate, Article of Association or other relevant document appended)
4.	Address: ....
5.	If the TPA will be: a. Proprietorship:- the name, qualifications and addresses of the person operating the same. b. A firm or company:- names, qualifications and address of each of the partners, or as the case may be, Directors.
6.	Office address from where the Auditor will act as a TPA
7.	Class for which License is applied for:-
8.	Personnel with the Auditor Proprietorship / Individual:- (a) Name, qualification and address of each supervisory staff. (b) Names, qualifications and addresses of other employees.
9.	Technical qualifications and experience of the promoter or partners or directors and other technical officers or employees dealing with TPA,working with the applicant.
10.	Whether blacklisted by any other department or Organization in any other

	State. If so, in which category; (a) Whether the applicant or his Partners or Directors has been blacklisted in the past by any Government Department or Public Agencies? (b) Whether the applicant has applied for registration elsewhere in his name or in the name of partner, Director or firm or company? If so, whether the application was rejected? Give particulars.
11.	Whether the applicant has produced up to date Income tax certificate.
12.	Amount of solvency certificate, which the applicant has held or produced.
13.	A fee of ₹ ________________ paid herewith by Demand Draft Number Dated. _______________ drawn on __________ Bank.
14.	If the application is for renewal of the existing license, the details in respect of the license and the period of its validity. (Copy of the license appended).
15.	Whether, previously the license to act as TPA was granted and has been suspended or cancelled; and if so, reasons thereof:-

VERIFICATION

I/We certify that, I/We have not been and will not get myself or ourselves registered as auditor in the department under more than one name.

Thanking You,

Yours faithfully

FORM–O

(See sub-rule (1) of rule 37C)

License to act as "Third Party Auditor" for Fire Prevention and Life Safety Measures

License No. ………… Date ………….

License is hereby granted or renewed under the provisions of sub-rule (2) of rule37A of the Chhattisgarh Fire and Emergency Services Rules, 2021, having their registered office at ____ to act as Licensed TPA for the purposes of the said Rules for conduct of the fire prevention and life safety audit.

Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 37A and, sub-rule (1) of rule 37C of the Chhattisgarh Fire and Emergency Services Rules, 2021 the license will be valid for a period from _________________ to _________________

SEAL OF
THE OFFICE

Director General/ Nominated Officer
Chhattisgarh Fire and Emergency Services

Place:

Date:

FORM–P

(See sub-rule (3) of Rule 37C)

Notice to Licensed TPA for suspension or cancellation of License

To,

____

____

WHEREAS a License to act as a TPA (Third Party Auditor) for the purposes of the Chhattisgarh Fire & Emergency Services Act, 2018 bearing a License No. ___________ dated ________ has been granted or renewed in the name of and the license so granted or renewed was subject to the provisions of rule 37A, 37B and 37Cof the Chhattisgarh Fire and Emergency Services Rules, 2021.

AND WHEREAS it is noticed that you are guilty of the following acts, namely: -

1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________

I hereby call upon you to show cause in writing, within a period of 30 days from the receipt of this notice as to why the license so granted or renewed in your favour should not be suspended or cancelled.

SEAL OF
THE OFFICE

Place: Director General/ Nominated Officer

Date:

FORM–Q

(See sub-rule (2)(a) of rule 37D)

Certificate by the TPA for compliance of the Fire Prevention and Life Safety Audit Observation

CERTIFICATE

This is to certify that I/We have carried out the work for compliance with the Fire Prevention and Life Safety Audit in the following building or premises as per the provisions of the Chhattisgarh Fire and Emergency Services Rules, 2021.

Description and Location of the Building or Premises

The details of the fire audit work which I/ We have executed are mentioned in the list appended herewith.

Place: Signature and Address of the Licensed TPA (Third Party Auditor)

Date: License No.

*Note-

(a) A detailed Fire Audit Report shall be attached along with this form.

(b) For each building a separate certificate is necessary.

FORM--R

(See sub-rule (2)(b) of rule 37D)

Six Monthly attested Certificate to be given by the auditor to the occupier for compliance of the Fire Prevention and Life Safety Audit Observations

CERTIFICATE

This is to certify that I / We have carried out the Fire prevention and Life safety Audit of the following building or premises, namely

____

____

I / We further certify that these above-mentioned buildings are maintained, in good repair and efficient conditions during the period ____________________ as under the provisions of the Chhattisgarh Fire and Emergency Services Rules, 2021. The details of the Audits carried out by me/us are mentioned in the report appended herewith.

____________ ____________________________________

Place: _____________ Signature and Address of owner or the occupier (Building)

Date:

________ ____

Place: _____________ Signature and Address of the TPA (Third Party Auditor)

Date: License No. _____________

[*Note: - detailed location and postal addresses are to be provided here]"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. CHOUHAN, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.